रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072021-228559
CG-DL-E-29072021-228559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943
No. 416] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SHRAVANA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

(आय-कर)

सा.का.नि. 514(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (इक्कीसवा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 129 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"130. कतिपय नियमों और प्ररूप का लोप तथा व्यावृत्तिया — (1) नियम 5क, नियम 5कख, नियम 6कखख, नियम 12ख, नियम 12खक, नियम 16घ, नियम 16घघ, नियम 16ङ, नियम 16च, नियम 18ख, नियम 18खख, नियम 18खखक, नियम 18घघ, नियम 18घघक, नियम 20कख, नियम 29कक, नियम 29घ, नियम 37, नियम 37ङ, नियम 37च, नियम 44क, नियम 48, नियम 123 और नियम 124 का लोप किया जाएगा।

(2) परिशिष्ट 2 के प्ररूप आईटीआर-8, 2ख, 2ग, 2ङ, 3कक, 3ककक, 3खक, 4, 5, 5क, 10कक, 10ग, 10गग, 10गगक, 10गगकक, 10गगकख, 10गगकखक, 10गगकग, 10गगकघ, 10गगकङ, 10गगकच, 10गगकछ, 10गगकज, 10गगकझ,

10गगखक, 10गगखख, 10गगखखक, 10गगखग, 10गगखघ, 10घख, 10घग, 10छ, 10जक, 11, 11क, 12, 12क, 15झ, 15ञ, 16कक, 22, 24, 26, 27ङ, 30, 34क, 34ख, 34खक, 37, 37ङङ, 37च, 37छ, 37ज, 37झ, 54, 55, 56क, 56कक, 56ख, 56खक, 56ग, 56गक, 56ङ, 56च, 56चच, 56छ, 56ज, 58क, 58ख, 63, 63क और प्ररूप 63कक का लोप किया जाएगा ।

(3) ऐसे लोप में किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के प्रारंभ की तारीख से ही—

(i) अपील, निर्देश या पुनरीक्षण के रूप में किसी आय-कर प्राधिकारी, किसी अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई कार्यवाही जारी रखी जाएगी या उनका निपटारा किया जाएगा, मानो उपनियम (1) और उपनियम (2) में उल्लिखित नियमों और प्ररूपों का लोप नहीं किया गया है ;

(ii) उपनियम (1) और उपनियम (2) में उल्लिखित नियमों और प्ररूपों के अधीन किया गया कोई करार, की गई नियुक्ति, दिया गया अनुमोदन, प्रदान की गई मान्यता, जारी किया गया निदेश, अनुदेश, अधिसूचना या आदेश को प्रवृत्त बना हुआ समझा जाएगा, मानो उपनियम (1) और उपनियम (2) में उल्लिखित नियमों और प्ररूपों का लोप नहीं किया गया है ।

131. प्ररूप, विवरणी, विवरण, रिपोर्ट, आदेश, इत्यादि को इलेक्ट्रानिक रूप में देना—(1) यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) बोर्ड के अनुमोदन से यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि परिशिष्ट 2 में विहित कोई भी प्ररूप, विवरणी, विवरण, रिपोर्ट, आदेश, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, इलेक्ट्रानिक रूप में दिया जाएगा—

(i) यदि आय की विवरणी अंकीय हस्ताक्षर के अधीन दिया जाना अपेक्षित है तो आय-कर हस्ताक्षर के अधीन ; या

(ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले मामलों की दशा में, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से ।

(2) यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली)—

(i) बोर्ड के अनुमोदन से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप, विवरणी, विवरण, रिपोर्ट, आदेश को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसे इलेक्ट्रानिक रूप से दिया जाना है ;

(ii) रूप विधान में उपांतरण के साथ डाटा संरचना, मानक और देने की प्रक्रिया तथा ऐसे प्ररूप, विवरणी, विवरण, रिपोर्ट, आदेश का सत्यापन अधिकथित करेगा, यदि इलेक्ट्रानिक रूप से देने के लिए इसके अनुरूप बनाना आवश्यक हो ; और

(iii) उक्त प्ररूप, विवरणी, विवरण, रिपोर्ट, आदेश के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने के लिए दायी होगा ।''

[अधिसूचना सं. 83/2021/फा. सं. 370142/30/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 509 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।